प्रकरण कमांक : 411 / 2013 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 09.07.2013

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

## बनाम

1—राजू उर्फ राजकुमार पुत्र रामसिंह गुर्जर उम्र 24वर्ष निवासी चक माधौपुर थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियुक्त

(आरोप अंतर्गत धारा—379 भा०द०सं०) (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री आर०पी०एस० गुर्जर)

## निर्णय

( आज दिनांक ०५—१२—२०१७ को घोषित

- आरोपी पर दिनांक 24.07.12 को दिन के लगभग 10:00 बजे दंदरीआ धाम मंदिर थाना मौ में स्थित पिछले गेट के बाहर फरियादी आनंद शर्मा के आधिपत्य से उसकी पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी—07—एमएच—3135 कीमत लगभग 12,000 / —रूपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित करने हेतु भादसं की धारा 379 के अंतर्गत आरोप है।
- 2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 24.07.12 को फरियादी आनंद शर्मा राजेश शर्मा के साथ अपने भाई विजयकांत की काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल क0 एमपी-07-एमएच-3135 मांगकर दंदरौआ सरकार मंदिर पर दर्शन करने गया था। दंदरौआ मंदिर पर भंडारा चल रहा था उसने अपनी पल्सर मोटरसाइकिल मंदिर के पिछले गेट के बाहर खडी कर दी थी तथा वह और राजेश मंदिर में प्रसाद चढाने व दर्शन करने के लिए चले गए थे जब वह लोग दर्शन करके वापिस आए थे तो उन्हें मोटरसाइकिल नहीं मिली थी कोई अज्ञात चोर मोटरसाइकिल चुराकर ले गया था उस समय दिन के करीबन दस बजे थे उसने मोटरसाइकिल की तलाश की थी परंतु मोटरसाइकिल का पता न चलने पर उसने दिनांक 25.07.12 को थाने पर रिपोर्ट की थी। फरियादी की रिपोर्ट

पर थाना मौ में अप०क० 163/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे तत्पश्चात माल एवं मुल्जिम का पता न चलने के कारण उक्त अपराध में दिनांक 15.12.12 को खात्मा रिपोर्ट कता की गई थी जिसे दिनांक 29.01.13 को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था तत्पश्चात दिनांक 08.06.13 को पुनः उक्त अपराध की विवेचना प्रारंभ की गई थी। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।
- 5. <u>इस न्यायालय के समक्ष निम्निलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन हुआ हैं:</u>
  1. क्या घटना दिनांक 24.07.12 को दिन के लगभग 10:00 बजे दंदरौआ धाम मंदिर थाना मौ से फरियादी आनंद शर्मा के आधिपत्य से उसकी पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी–07–एमएच–3135 की चोरी हुई?
  - 2. क्या उक्त चोरी आरोपी और केवल आरोपी द्वारा ही कारित की गई ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी आनन्द शर्मा अ0सा01, साक्षी राजेश शर्मा अ0सा02, ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03, आरक्षक कमल माहौर अ0सा04, निहालिसंह अ0सा05 एवं ए.एस.आई. दयाशंकर यादव अ0सा06 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

## निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 01

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फिरियादी आनंद शर्मा अ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पहले की दिन के 10—11 बजे की है वह अपनी पल्सर मोटरसाइकिल क0 एमपी—07—एमएच—3135 से दंदरीआ मंदिर पर हनुमानजी के दर्शन करने गया था उसने मोटरसाइकिल पीछे खडी कर दी थी जब वह लौटकर आया था तो मोटरसाइकिल उसे नहीं मिली थी कोई अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया था। उसने उक्त संबंध में थाने पर लेखीय आवेदन दिया था जो प्र0पी01 है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी02 है जिनके कमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी राजेश शर्मा अ०सा02 ने भी अपने कथन में

फरियादी आनंद शर्मा अ०सा०1 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को आनंद के साथ मोटरसाइकिल से दंदरौंआ मंदिर पर जाने एवं वापिस आने पर मोटरसाइकिल न मिलने बावत् प्रकटीकरण किया है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त दोनों ही साक्षियों का प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों के कथन मोटरसाइकिल चोरी होने के बिंदु पर अखंडनीय रहा है।

इस प्रकार फरियादी आनंद शर्मा अ०सा०१ ने घटना दिनांक को उसकी 8. पल्सर मोटरसाइकिल क्र0 एमपी-07-एमएच-3135 दंदरौआ मंदिर से चोरी होना बताया है। राजेश शर्मा अ०सा०२ द्वारा भी फरियादी आनंद शर्मा के कथन का समर्थन किया गया है उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान मोटरसाइकिल चोरी होने के बिंद् पर अखंडनीय रहा है। फरियादी आनंद शर्मा अ०सा०१ द्वारा प्रकरण में पल्सर मोटरसाइकिल क० एमपी-०७-एमएच-३१३५ चोरी होने के संबंध में प्र0पी01 का आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई है। साक्षी निहाल सिंह अ0सा05 ने भी फरियादी आनंद शर्मा 🌃 सूचेना पर प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया गया है। प्र0पी01 के आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी पल्सर मोटरसाइकिल क0 एमपी–07–एमएच–3135 चोरी होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिंदू पर फरियादी आनंद शर्मा अ०सा०१ का कथन प्र०पी०१ के आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है उक्त बिंदु पर फरियादी आनंद शर्मा अ०सा०१ के कथन का समर्थन राजेश शर्मा अ०सा०२ एवं निहाल सिंह अ०सा०५ द्वारा भी किया गया है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में फरियादी की अखंडनीय रही साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

9. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी आनंद शर्मा के आधिपत्य से पल्सर मोटरसाइकिल क0 एमपी–07–एमएच–3135 की चोरी हुई थी।

## विचारणीय प्रश्न क0 2

- 10. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या उक्त चोरी आरोपी और केवल आरोपी द्वारा ही कारित की गई थी? उक्त संबंध में फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी राजू उर्फ राजकुमार को नहीं जानता है उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पहले दंदरीआ मंदिर से उसकी पल्सर मोटरसाइकिल क0 एमपी—07—एमएच—3135 कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया था। प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे पता नहीं है कि कौन व्यक्ति उसकी मोटरसाइकिल चुराकर नहीं ले गया था। हाजिर अदालत आरोपी उसकी मोटरसाइकिल चुराकर नहीं ले गया था।
- 11. राजेश शर्मा अ०सा०२ ने भी अपने कथन में घटना दिनांक को दंदरौआ मंदिर से मोटरसाइकिल चोरी होना बताया है। प्रतिपरीक्षण के पद क०२ में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे नहीं पता कि कौन व्यक्ति मोटरसाइकिल चुराकर ले गया था।

- 12. ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ०सा०३ ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक ०८.०६.1३ को वह ए.एस.आई. राकेश प्रसाद एवं फोर्स के साथ अप० क० 172/12 धारा 394 भा०द०सं० एवं 11,13 एमपीडीपीके एक्ट में आरोपी राजू गुर्जर की तलाश हेतु ग्राम जुमलेदार का पुरा गया था उसने आरोपी राजू की घर पर तलाश की थी राजू मिला था उसे गिरफ्तार किया था उसके घर पर पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर की खडी थी जिसके संबंध में पूछताछ की थी तो उसने मोटरसाइकिल दंदरीं मंदिर से चोरी करना बताया था फिर उसके द्वारा आरोपी से धारा 27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम लिया गया था एवं आरोपी के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा 102 एवं धारा 379 भा०द०सं० का अपराध तैयार किया गया था एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इस्तगासा प्र०पी०4, मेमोरेण्डम प्र०पी०5, गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०6 एवं जप्ती पंचनामा प्र०पी०7 है जिनके कमशः ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 13. साक्षी कमल माहौर अ०सा०४ ने भी अपने कथन में आरोपी से काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल जप्त करना बताया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि मेमोरेण्डम प्र०पी०५, गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०६ एवं जप्ती पंचनाम प्र०पी०७ है जिनके कमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 14. साक्षी निहाल सिंह अ०सा०५ द्वारा प्र०पी०२ की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है एवं ए. एस. आई. दयांशंकर यादव अ०सा०६ द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया हैं उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने दिनांक 12.06.13 को आरोपी राजू को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०८ बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी राजू से पूछताछ कर धारा 27 का मेमोरेण्डम बनाया था जो प्र०पी०० है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 15. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 16. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 द्वारा चोरी की रिपोर्ट अज्ञात में की गई है। फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि वह आरोपी राजू उर्फ राजकुमार को नहीं जानता है तथा उसे नहीं पता कि कौन व्यक्ति उसकी मोटरसाइकिल को चुराकर ले गया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी उसकी मोटरसाइकिल को चुराकर नहीं ले गया था। साक्षी राजेश शर्मा अ0सा02 ने भी आरोपी राजू उर्फ राजकुमार की पहचान नहीं की है तथा व्यक्त किया है कि उसे नहीं पता कि कौन व्यक्ति मोटरसाइकिल चुराकर ले गया था। इस प्रकार फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 एवं राजेश शर्मा अ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।
- 17. जहां तक आरोपी से मोटरसाइकिल जप्त होने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ०सा०३ ने अपने कथन में यह बताया है कि दिनांक 08.06.13 को वह अप० क० 172/12 में आरोपी राजू की तलाश हेतु आरोपी राजू उर्फ राजकुमार के घर जुमलेदार का पुरा गया था वहां

उसने आरोपी को गिरफतार किया था तथा आरोपी के घर पर पल्सर मोटरसाइकिल खडी थी एवं उक्त मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ कर उसने आरोपी से प्र0पी05 का मेमोरेण्डम लिया था। इस प्रकार ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ०सा०३ ने अप० क० 172/12 की विवेचना हेत् आरोपी के घर जाना तथा आरोपी के घर से पल्सर मोटरसाइकिल जप्त करना बताया है तथा यह भी बताया है कि तत्पश्चात् उसने प्र0पी04 का इस्तगासा तैयार किया है परंत् प्र0पी04 के इस्तगासे में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि अप० क० 172/12 की विवेचना के दौराना आरोपी से उक्त पल्सर मोटरसाइकिल जप्त की गई थी। प्र0पी04 के इस्तगासे में वर्णित अनुसार मुखबिर की सूचना पर आरोपी राजू के घर से धारा 102 द0प्र0सं0 एवं 379 भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोपी से पल्सर मोटरसाइकिल जप्त की गई थी परंत् यह बात ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ०सा०३ द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में नहीं बताई गई है। ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 का ऐसा कहना नहीं है कि उसे आरोपी के पास मोटरसाइकिल होने की जानकारी मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई थी। इस प्रकर उक्त बिंद् पर ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ०सा०३ के कथन इस्तगासा प्र०पी०४ से विरोधाभाषी रहे हैं। उक्त तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

8. ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ०सा०3 ने अपने कथन में यह बताया है कि जब वह अप क० 172/12 में आरोपी राजू की तलाश हेतु उसके घर ग्राम जुमलेदार का पुरा गया था तो उसने राजू के घर पर बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल खडी हुई देखी थी जबिक साक्षी कमल माहौर अ०सा०4 जो कि मेमोरेण्डम प्रपी०5 एवं जप्ती पंचनामा प्र०पी०7 का साक्षी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन आरोपी राजू 11,13 डकैती के अपराध में बंद था तथा उक्त दिनांक को ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने काली पल्सर मोटरसाइकिल उसके घर पर रखी होना बताया था तब ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव मय फोर्स आरोपी के घर गए थे तथा आरोपी के घर से मोटरसाइकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०7 बनाया था। प्रतिपरीक्षण के पद क०2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी राजू पूर्व से ही अन्य अपराध में थाने में बंद था एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव ने आरोपी से पूछताछ की थी वह नहीं बता सकता है कि उस समय थाने पर कितने लोग मौजूद थे।

9. इस प्रकार साक्षी कमल माहौर अ०सा०४ ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी राजू पूर्व से ही डकेती के अपराध में थाने में बंद था तथा थाने में ही श्रीनिवास यादव द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने पल्सर मोटरसाइकिल उसके घर पर रखी होना बताया था तब श्रीनिवास यादव ने आरोपी के घर जाकर मोटरसाइकिल जप्त की थी जबिक ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ०सा०३ का कहना है कि जब वह अप० क० 172/12 धारा 11,13 एमपीडीपीके के अपराध में आरोपी राजू की तालश हेतु उसके घर ग्राम जुमलेदार का पुरा गए थे तथी उन्होंने आरोपी के घर पर पल्सर मोटरसाइकिल देखी थी। इस प्रकार उक्त बिंदु पर ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ०सा०३ एवं साक्षी कमल माहौर अ०सा०४ के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ०सा०३ का कहना है कि उन्होंने स्वयं आरोपी के घर पर मोटरसाइकिल रखी हुई देखी थी जबिक कमल माहौर अ०सा०४ का कहना है कि आरोपी ने अन्य अपराध में थाने पर

पूछताछ के दौरान मोटरसाइकिल अपने घर पर रखी होना बताया था तब श्रीनिवास यादव आरोपी के घर मोटरसाइकिल जप्त करने गए थे। इस प्रकार उक्त बिंदु पर श्रीनिवास यादव अ०सा०३ एवं कमल माहौर अ०सा०४ के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं जो संपूर्ण जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देते हैं।

20. यहां यह उल्लेखनीय है कि ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ०सा०३ ने अपने कथन में यह बताया है कि उन्होंने स्वयं राजू के घर में पल्सर मोटरसाइकिल खड़ी हुई देखी थी इसके बाद उनके द्वारा आरोपी से मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ कर प्र०पी०5 का मेमोरेण्डम बनाया गया था। ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ०सा०३ के कथनों से यह दर्शित है कि प्र०पी०5 के मेमोरेण्डम के आधार पर कोई जप्ती नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में प्र०पी०5 के मेमोरेण्डम का कोई औचित्य नहीं है परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीनिवास यादव अ०सा०३ ने आरोपी से प्र०पी०5 का मेमोरेण्डम आरोपी के घर ग्राम जुमलेदार का पुरा में लेना बताया है जबकि साक्षी कमल माहौर अ०सा०४ का कहना है कि श्रीनिवास यादव ने आरोपी राजू से प्र०पी०5 का मेमोरेण्डम थाने पर लिया था। इस प्रकार उक्त बिंदु पर भी श्रीनिवास यादव अ०सा०३ एवं कमल माहौर अ०सा०४ के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं जो संपूर्ण जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देते हैं।

21. जहां तक ए.एस.आई. दयाशंकर यादव अ०सा०६ के कथन का प्रश्न है कि तो दयाशंकर यादव द्वारा आरोपी को हस्तगत अपराध में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है तथा आरोपी से पूछताछ कर प्र0पी०९ का मेमोरेण्डम लेना बताया गया है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्र0पी०९ के मेमोरेण्डम के अनुक्रम में आरोपी से कोई बरामदगी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में प्र0पी०९ के मेमोरेण्डम का भी कोई औचित्य नहीं है।

22. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ०सा०३ ने आरोपी से पल्सर मोटरसाइकिल जप्त होना बताया है जबकि फरियादी आनंद शर्मा अ०सा०१ द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी राजू उसकी मोटरसाइकिल चुराकर नहीं ले गया था। इस प्रकार फरियादी आनंद शर्मा अ०सा०१ ने स्वयं आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने से इंकार किया है यह तथ्य भी अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है।

23. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी द्वारा चोरी की रिपोर्ट अज्ञात में की गई है एवं फरियादी आनंद शर्मा अ0ास01 तथा राजेश शर्मा अ0सा02 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 द्वारा स्पष्ट रूप से यह भी व्यक्त किया गया है कि आरोपी ने उसकी मोटरसाइकिल की चोरी नहीं की थी। ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 एवं कमल माहौर अ0सा04 के कथन भी तात्विक बिंदुओं पर विरोधाभाषी रहे हैं। ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 के कथन प्र0पी04 के इस्तगासे से भी पुष्ट नहीं रहे हैं। जप्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद है ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

- 24. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- 25. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 24.07.12 को दिन के लगभग 10:00 बजे दंदरीआ धाम मंदिर थाना मों में स्थित पिछले गेट के बाहर फरियादी आनंद शर्मा के आधिपत्य से उसकी पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी—07 —एमएच—3135 कीमत लगभग 12,000 / —रूपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी राजू उर्फ राजकुमार को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा0द0सं0 की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 26. अारोपी निरोध में है उसे स्वतंत्र किया जावे।
- 27. प्रकरण में जप्तशुदा पल्सर मोटरसाइकिल क् 0 एमपी-07-एमएच-3135 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपुर्दगी नामा अपील अविध पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान— गोहद दिनांक— 05 / 12 / 17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)